बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांकः–3/ कृ० बजट विविध –02/2018 कृ0 पटना दिनांकः–..... 2019

प्रेषक,

एन० सरवण कुमार,
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/बामेति/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/ निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/अवर सचिव, राज्य किसान आयोग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (उद्यान)।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2018–19 तक का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांकः–3538 दि०–23.10.2019 एवं पत्रांकः–2917 दि०–03.09.2019।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। विभागीय स्वीकृत्यादेशों द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व आपका है। इस संबंध में पूर्व में कई बार विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेश दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद भी आपके स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इस संबंध में अपने स्तर से सघन समीक्षा करते हुए जो राशि व्यय किया जा चुका है। उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय। जो राशि व्यय नहीं किया जा सका है उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाय तथा चालू वित्तीय वर्ष की येाजना स्वीकृत कराकर शेष कार्य को पूरा किया जाय।

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कुछ एसे मामले हेांगे जिसमें स्वीकृत राशि से कम राशि आवंटित हुआ हो तथा कुछ एसे मामले होंगे जिसमें स्वीकृत राशि के अनुसार कई आवंटनादेशों से राशि आवंटित हुए हैं। इस प्रकार के मामलों की समीक्षा करके येाजनावार एवं स्वीकृत्यादेशवार विस्तृत विवरणी भी भेजी जाय ताकि समेकित विवरणी महालेखाकार को भेजकर विभाग पर लंबित दिखाये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि को कम कराया जा सके।

उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक अनुदान मद (Grant in aid) में आवंटित राशि का विहित प्रपत्र BTC Form 42A (प्रति संलग्न) में तैयार किया जाना है।
2. एक उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक स्वीकृत्यादेश एवं एक विपत्रकोड अंतर्गत आवंटित राशि से संबंधित सूचनाओं का अंकन होना चाहिए।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हेाना चाहिए।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंकित राशि से संबंधित CTMIS की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए ताकि Bill No/ TV No की जाँच की जा सके।
5. विहित प्रपत्र में चेक स्लिप (प्रति संलग्न) तीन प्रति में भरा होना चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित होना चाहिए।

6. अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए। जहाँ अंकेक्षण का मामला लंबित है, उनका तत्काल अंकेक्षण करा लिया जाय।

7. प्रत्यर्पित राशि की स्थिति में अभिप्रमाणित प्रत्यर्पण पत्र संलग्न होना चाहिए। चालान के मामले में या तो चालान की मूल प्रति संलग्न हो या चालान की छायाप्रति पर डी०डी०ओ० एवं कोषागार पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए।

8. निकासी एवं तत्पश्चात् व्यय की गई राशि से संबंधित रोकड़ बही की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए।

बिहार कोषागार संहिता के नियम–271 (ड़) के अनुसार "सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (ले०एवं ह०) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है"। इस अवधि के बाद तबतक कोषागार से राशि की निकासी नही की जा सकेगी जबतक की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना से नहीं करा लिया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिकाओं को ध्यान में रखते हुए उपयेागिता प्रमाण पत्र BTC Form-42A में तैयार कर सभी अनुलग्नकों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि आपके कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जा चुका है तो अपने कार्यालय अधीनस्थ किसी कर्मी को भेजकर बजट शाखा से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करवा ली जाय। त्रुटि की स्थिति में त्रुटि का निराकरण भी करवा लिया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(एन० सरवण कुमार)

सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – /कृ०, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह८), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – /कृ०, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने से संबंधित योजनाओं का लंबित उपयेागिता प्रमाण पत्र समायोजन कराने की कार्रवाई करेंगे।

3. सहायक निदेशक (उद्यान) अपने से संबंधित उपयेागिता प्रमाण पत्र निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3975 /कृ०, पटना, दिनांक 26/11/ 2019

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।